न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2022 **दायर दिनांकः 01/04/2022**

उनवान

1. भंवरलाल आयु 66 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गूजर निवासी किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत किशनपुरा पंचायत समिति अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 402
दिनांक 20/02/2020 ग्राम पंचायत किशनपुरा

उपस्थिति :—
वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :—विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 29/09/2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश किया है कि अपीलाण्ट के वाके ग्राम एवं माल किशनपुरा में खाता संख्या 90 के कुल किता 9 का रकबा 5.14 है0 आराजी अपीलाण्ट व उसकी बहिन घीसी बाई के दर्ज खाता स्थित थी। नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 एवं नवीन नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 साथ में संलग्न है। रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में उसकी बहिन घीसी बाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर निवासी किशनपुरा तहसील अटरू द्वारा अपील के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से उसके हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड हक त्याग उप पंजियन अधिकारी महोदय अटरू के यहां दिनांक 17.06.2015 को कर दिया था परन्तु आराजी एच.के.जी.बी. बैंक सकतपुर के रहन दर्ज होने के कारण हक त्याग का नामान्तकरण अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज नही हो सका। हक त्याग की प्रति साथ में संलग्न है। अपीलाण्ट द्वारा अपने खाते दर्ज आराजी ग्राम किशनपुरा की खाता संख्या 91 का कुल किता 4 का रकबा 0.34 है0 आराजी का रजिस्टर्ड दान पत्र एवं ग्राम भवानीपुरा का खाता संख्या 27 का ख0नं0 93 का

रकबा 3.20 है0 मे से 0.96 है0 का दान पत्र अपने पोत्रों प्रथमसिंह व दिलखुश के पक्ष में कर दिया। दान पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। अपीलाण्ट ने व उसकी बहिन ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को वर्ष 2020 में रहन मुक्त कराया तब अपीलाण्ट द्वारा उसकी बहिन द्वारा उसके पक्ष में किये गये हक त्याग की प्रति एवं अपीलाण्ट द्वारा उसके पोत्रों के पक्ष में किये गये दोनों दान पत्र की प्रति पटवार हल्का किशनपुरा को दे दी गई थी। पटवार हल्का द्वारा वर्ष 2015 में अपीलाण्ट की बहिन द्वारा उसके पक्ष में किये गये हक त्याग का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा सहवन से तस्दीक नही किया तथा सहवन से अपीलाण्ट द्वारा प्रथमसिंह व दिलखुश के पक्ष में किये गये दान पत्र का नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 20.02.2020 को तस्दीक कर दिया गया जो अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से तस्दीक किया गया है जिससे अपीलाण्ट के पक्ष में उसकी बहिन द्वारा किये गये हक त्याग की आराजी अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज नहीं हुई है जिससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों से वंचित हो गया है। यदि नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 20.02.2020 खारिज नहीं किया गया तो अपीलाण्ट को अपूरणीय क्षति होगी। नामान्तकरण संख्या 402 की प्रति साथ में संलग्न है। अपीलाण्ट नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 20.02.2020 ग्राम पंचायत किशनपुरा गैर कानूनी एवं अवैधानिक होने से खारिज करवाकर अपीलाण्ट के पक्ष में हक त्याग दिनांक 17.06.2015 का नामान्तकरण दर्ज करवाने का अधिकारी है जिसे बिना माननीय न्यायलय की सहायता के दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अपीलाण्ट ने के.सी.सी. ऋण लेने हेतु पटवार हल्का से नकल जमाबन्दी लेने हेतु दिनांक 20.03.2020 को सम्पर्क किया तब पटवार हल्का द्वारा हक त्याग का नामान्तकरण अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज नहीं होने की जानकारी दी गई। दिनांक 20.02.2020 से दिनांक 20.03.2022 तक के समय को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से साथ में पेश किया गया है। अपील अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75 डी राज0 ले0रे0 एक्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट निवेदन करता है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 20.02.2020 ग्राम पंचायत किशनपुरा खारिज फरमाया जाकर अपील की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अपीलाण्ट के पक्ष में उसकी बहिन द्वारा किये गये हक त्याग दिनांक 17.06.2015 का नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. अभिभाषक अपीलान्टस् की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 402 दिनांक 20.02.2020 को विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे और तदुपरान्त अपील के मद नं. 1 में वर्णित आराजी तात्कालिन खाता संख्या 90 कुल किता 9 रकबा 5.14 है0 में अपीलाण्ट के पक्ष में उसकी बहिन द्वारा किये गये हक त्याग दिनांक 17.06.2015 का नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

4. अभिभाषक अपीलांट की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम किशनपुरा की जमाबन्दी सवंत 2062–65 के अनुसार तात्कालिन खाता संख्या 71 ख0नं0 143, 146, 147, 148, 149, 184, 185, 253 एवं 254 कुल किता 9 कुल रकबा 5.14 है0 आराजी अपीलान्ट भवंरलाल हिस्सा 1/2 व घींसीबाई हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड था। अपीलांट द्वारा पेश रजि0 हक त्याग पत्र दिनांक 17.06.2015 के अनुसार उक्त विवादित आराजी में सहखातेदार घीसीबाई ने अपने हिस्से 1/2 की संपूर्ण आराजी का हकत्याग अपीलांट/सहखातेदार भंवरलाल के पक्ष में किया था लेकिन विवादित आराजी पर एच0के0जी0बी0 बैंक शाखा सकतपुर का रहन दर्ज होने के कारण इंतकाल नहीं खुल पाया। ग्राम किशनपुरा की जमाबंदी संवत 2074–77 अनुसार उक्त कृषि ऋण का भुगतान के बाद नामान्तरण संख्या 399 दिनांक 23.01.2020 से रहनमुक्त दर्ज हुआ था। **रहनमुक्त होने से पूर्व एवं अपीलांट के पक्ष में घींसीबाई के 1/2 हिस्से का नामान्तरण खुले बिना ही अपीलांट द्वारा जरिये रजि0 दानपत्र दिनांक 24.05.2019 विवादित आराजी के ख0नं0 146, 147, 148, व 149 कुल किता 4 कुल रकबा 0.34 है0 का दान प्रथमसिंह व दिलखुश पुत्रान चन्द्रमोहन के पक्ष में सम्पूर्ण हिस्से (1/2+1/2) कर दिया गया था जबकि घींसीबाई का हिस्सा रहनमुक्त हुऐ बिना अपीलांट सम्पूर्ण हिस्से का कानून दान नहीं कर सकता था। सब रजिस्ट्रार अटरू द्वारा भी विधिविरूद्ध जाकर सम्पूर्ण हिस्से का दान पत्र रजिस्टर्ड किया गया।** जिस समय ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा दानपत्र दिनांक 24.05.2019 का इंतकाल तस्दीक किया गया था उस समय राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के खाते केवल 1/2 हिस्सा ही दर्ज था। शेष 1/2 हिस्सा हकत्यागकर्ता घींसीबाई के खाते दर्ज था। अतः ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा

खोले गये इंतकाल संख्या 402 दिनांक 20.02.2020 नियमानुसार ही है। लेकिन यदि इसे खारिज नहीं किया जाता है तो विवादित आराजी पर कोई कानून विवाद नहीं होते हुए भी तकनीकि त्रुटि के चलते वाद बहुलता बढेगी। घींसीबाई द्वारा अपने हिस्से का अपीलांट के पक्ष में 17.06.2015 को हकत्याग रजिस्टर्ड हो चुका है और वर्तमान में घींसीबाई एवं एच0के0जी0बी0 बैंक सकतपुर को कोई आपत्ति नहीं है। नामान्तरण एक फिस्कल प्रविष्टी है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को उसके कानूनी हक व अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। **ग्राम किशनपुरा के तात्कालिन खाता संख्या 90 कुल किता 9 कुल रकबा 5.14 है0 आराजी के शेष 4 खसरों पर किसी हकत्याग पत्र दिनांक 17.06.2015 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामान्तरण संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 को इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 में अपने निर्णय दिनांक 06.01.2022 द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है।** अतः उक्त अपील में तकनीकि त्रुटि की बजह से उत्पन्न वाद बहुलता को रोकने के लिए न्यायहित में ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये इंतकाल संख्या 402 दिनांक 20.02.2020 खारिज किये जाने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 (D) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा खोला गया इन्तकाल **संख्या 402 दिनांक 20.02.2020 खारिज** किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम किशनपुरा के ख0नं0 146, 147, 148, 149, 184, 185, 253 एवं 254 कुल किता 9 कुल रकबा 5.14 है0 आराजी में सहखातेदार/अपीलान्ट की बहिन घीसी बाई द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 17.06.2015 को किये गये हकत्याग का नियमानुसार नामान्तरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां